



Neutral Citation No. - 2026:AHC:22805

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट - सी संख्या - 3608/2026

देवेन्द्र कुमार पाठक एवं 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

तहसीलदार (न्यायिक), तहसील कोल एवं 2 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: मानवेंद्र नाथ सिंह

प्रत्यर्थीगण के अधिवक्ता: सी.एस.सी., कृष्ण कांत सिंह

न्यायालय संख्या - 6

माननीय प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति

1. याचिकाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।
2. भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत वर्तमान याचिका में याचिकाकर्तागण द्वारा मांगी गई एकमात्र राहत प्रत्यर्थी संख्या 1, अर्थात् तहसीलदार (न्यायिक), तहसील कोल, जनपद अलीगढ़ को निर्देश देना है कि वह वाद संख्या 09/2002 (राज्य बनाम कुंदन लाल), उत्तर प्रदेश ज़मींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 186 के अंतर्गत, दिनांक 06.03.2024 के पुनर्स्थापन आवेदन (रेस्टोरेशन एप्लीकेशन) को एक विशिष्ट अवधि के भीतर शीघ्रता से निस्तारित करें।
3. यहाँ प्रस्तावित आदेश को देखते हुए, प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण को नोटिस भेजने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा। हालांकि, यदि प्रत्यर्थी/प्रत्यर्थीगण आदेश से व्यथित महसूस करते हैं, तो उनके आदेश के संशोधन/परिवर्तन की मांग करने के अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।
4. अभिलेख के अवलोकन से यह पता चलता है कि पूरी याचिका में ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया है कि कोई असाधारण स्थिति है और न ही याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस संबंध में कोई तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय को उक्त वाद को समयबद्ध तरीके से तय करने का निर्देश दिया जाए, सिवाय इस तथ्य के कि वाद वर्ष 2024 में दायर किया गया है।
5. उपरोक्त के आलोक में, याचिकाकर्ता को कोई राहत प्रदान नहीं की जा सकती। हालांकि, अधीनस्थ न्यायालय से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त मामले को कानून के अनुसार कड़ाई से तीन महीने की अवधि के भीतर बिना किसी भी पक्ष को अनावश्यक स्थगन दिए तय करे, जब तक कि कोई कानूनी बाधा न हो।
6. उपर्युक्त टिप्पणियों के साथ, याचिका निस्तारित की जाती है।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



(प्रकाश पाडिया, न्यायमूर्ति)

2 फरवरी, 2026

विनोद।

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"